मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1581/2008/17/मे.-2 भोपाल, दिनांक 23/09/2008

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः—रिट याचिका क्रमांक 13477/2005 नागरिक आपूर्ति मार्गदर्शक मंच विरूद्ध म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 02.07.2008 द्वारा रिट अपील क्रमांक 1440/06,1418/06 एवं रिट याचिका क्रमांक 13150/06 तथा 3332/07 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पैथालाजी प्रयोगशाला संचालन विधि का प्रदेश में क्रियान्वयन।

——00——

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ द्वारा डब्ल्यू.ए. क्रमांक 1440/06, 1418/06 एवं डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13150/06 तथा 3332/07 में पारित आदेश दिनांक 11.4.07 द्वारा प्रदेश में पैथालाजी प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु निम्नानुसार विधि का निर्धारण किया गया है तथा रिट याचिका क्रमांक 13477/2005 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की एक अन्य युगल पीठ ने आदेश दिनांक 02.07.2008 द्वारा उक्त विधि का प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये है।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ का दिनांक 11.4.2007 का आदेश निम्नानुसार है :—

आदेश दिनांक 11.4.07 पैरा—13

The aforesaid analysis of the provisions of the law prescribing the profession or technical qualifications necessary for the practice of medicine and the law prescribing the qualifications for running a pathology laboratory would show that laboratory technicians registered as a paramedical practitioner under the Adhiniyam 2000, cannot sign or authenticate any pathological test/report or certificate and he can only assist the pathologist registered in the State Medical Register as a medical practitioner in carrying out the technical tests in the pathology laboratory. In other words, a laboratory technician registered as a paramedical practitioner under the Adhiniyam 2000 can only assist the pathologist in the technical tests in a pathology laboratory in the State of Madhya Pradesh, but he cannot sign or authenticate any certificate or test report relating to pathology and such certificate or test report can only be singed and authenticated by a pathologist having the required qualification such as MBBS, MD or other in the Act, 1956, and also registered as a Medical Practitioner in the State Medical Register under the Adhiniyam, 1987.

आदेश दिनांक 11.4.07 पैरा—14

The impugned order dated 13.1.2003 of the learned Single Judge in Writ Petition No.3821/2002 and the impugned order dated 13.11.2006 of the learned Single Judge in WP No. 15891/2006 are

accordingly modified and the Writ Appeal No. 1440/2006, Writ Appeal No. 1418/2006, Writ Petition No. 1315I/2006 and Writ Petition No. 3332/2007 are allowed to the extend indicated above. The State/respondents will now act as per the law laid down in this Judgment. Considering the facts and circumstances of the case, the parties shall bear their own costs.

याचिका क्रमांक 13477/05 आदेश दिनांक 02.07.2008 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की एक अन्य युगल पीठ द्वारा उपरोक्त पैरा (1) में उल्लेखित आदेश दिनांक 11.4.07 के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु निम्न आदेश दिए गये है :–

- If any diagnostic centre is found to be running in contravention of the mandate of law, as has been laid down by this Court, immediate action should be taken for closure of the same.
- A bi-monthly report should be called for from the concerned Civil Surgeons with regard to the functioning of pathology centers that are run within their jurisdiction.

माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.04.2007 में स्पष्ट किया है कि :–

(1) पैथालाजी जांच रिपोर्ट/प्रमाण पत्र केवल ऐसे पैथालाजिस्ट ही प्राधिकृत/हस्ताक्षर कर सकते है :–

- जिनकी योग्यता एम.बी.बी.एस., एम.डी. अथवा मेडिकल काउन्सिल इंडिया एक्ट 1956 में उल्लेखित अन्य अर्हताए है।
- और जो मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(2) लैबोरेट्री टेक्निशियन केवल टेस्ट प्रोसेसिंग हेतु पैथालाजिस्ट की सहायता मात्र कर सकते हैं वे पैथालाजी जांच रिपोर्ट/प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर अथवा इसको प्राधिकृत नही कर सकते है।

अतः संचालनालय में क्रमांक 142/अ.प्र./पैथा–लेब/2006 दिनांक 24.04.2006 द्वारा जिला कलेक्टर में नेतृत्व गठित समिति को प्रदेश में कार्यशील निजी क्षेत्र की सभी पैथालाजी प्रयोगशालाओं को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश में निर्धारित विधि अनुसार संचालन सुनिश्चित करवाने तथा उक्त माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का उल्लंधन कर रही प्रयोगशालाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एतद् द्वारा आदेश दिए जाते है :–

- **कृपया उपरोक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा संबंधित आदेशों की प्रतियां संचालक स्वास्थ्य सेवायें (अस्पताल प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल को अनिवार्य रूप से दिनांक 20.09.2008 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय को पालन प्रतिवेदन नियत दिनांक 24.09.2008 को प्रस्तुत किया जा सके।**

- प्रत्येक दो माह में संचालक चिकित्सा सेवायें (अस्पताल प्रशासन) सतपुडा भवन, भोपाल को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि आपके जिले में निजी क्षेत्र में पैथालाजी प्रयोगशालाएं का संचालन अथवा जांचे माननीय उच्च न्यायालय के अपील याचिका क्रमांक 1440/06 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2007 एवं याचिका क्रमांक 13477/2005 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2008 के अनुसार किया जा रहा है/की जा रही है। (Reporting Format संलग्न है)

(डॉ. देव राज बिरदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 1582/2008/17/मे-2 भोपाल, दिनांक 23/09/2008

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्री आर.एन. सिंह, महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश शासन, कार्यालय महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर की ओर याचिका क्रमांक 13477/05 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2008 के पालन में ।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. संभाग आयुक्त, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर उनके क्रमांक लीगल/2008/6064 दिनांक 13.03.2008 के संदर्भ में।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. आदेश फाइल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

# PATHOLOGY LABORATORY BIMONTHLY REPORT PROFORMA

(In compliance of Hon'ble M.P. High Court, Jabalpur order dated 02.07.2008 in WP 13477/05)

( For Pathology Laboratories Operating in Private Sector )

Name of District: Date:

| S.No | Name of Pathology Laboratory/Hospital | Name of Dr. Incharge of Pathology Laboratory | Qualification of Dr. Incharge | Registration No. of Dr. Incharge Under M.P. Medical Council Act 1987 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Certified that no Pathology laboratory is running in the district contrary to the Hon'ble M.P. High Court, Jabalpur, order dated 02.07.2008 in the WP No. 13477/05 and order dated 11.04.07 in WAs Nos. 1440/06, 1418/06 and WPs No. 13151/06, 3332/07.

2. Certified that Laboratory Technicians in above laboratories are assisting the Dr. Incharge in processing the pathological tests/investigations and they are not signing/authenticating any pathology report/certificate.

Addl. Collector
(Signature & Stamp)

Dy. Sup. Police
(Signature & Stamp)

Chief Medical & Health Officer
(Signature & Stamp)